खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 127 / 2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम सुरेश कुमार व अन्य

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 127 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 141

सायल :–		गैर सायल :–
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली	बनाम	1. सुरेश पुत्र कपूरचंन्द्र निवासी सुथारो का बास बाली जिला पाली मैसर्स मोदी मन मंदिर सादडी रोड़ बाली (फर्म मालिक) 2. अशोक कुमार घांची पुत्र श्री शेषाराम घांची निवासी दाधिच धर्मशाला वाली गली सुमेरपुर मैसर्स विक्रम ऐजेन्सी सुआरो का वास सुमेरपुर जिला पाली (फर्म मालिक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

- गैरसायल संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री छगनलाल प्रजापत।
- गैरसायल संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेश कुमार भण्डारी।

–:निर्णय:–

दिनांकः 20.01.2025

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 30.05.2023 को दर्ज किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार सायल भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली दिनांक 22.02.2023 को 10.00 ए.एम बजे दौराने निरीक्षण मैसर्स मोदी मन मंदिर सादडी रोड़ बाली जिला पाली राज. पहूचें। दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम श्री सुरेश पुत्र कपूरचंद जाति घांची निवासी सुथारो का जाव बाली होना बताया एवं अपने आप को दुकान (मैसर्स मोदी मन मंदिर सादडी) का फर्म मालिक होना बताया। गैरसायल को सायल ने अपना परिचय पत्र दिखाकर चाय पत्ती ब्रान्ड विक्रम (500 ग्राम) के 20 पैकट जो आम जनता को विक्रय किये जाने हेतु रखे हुए थे, का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान चाय पत्ती ब्रान्ड विक्रम (500 ग्राम) में मिलावट का संदेह होने पर सरकारी जांच हेतु **चाय पत्ती ब्रान्ड विक्रम (500 ग्राम)** का नमूना लेने की इच्छा जाहिर की। फॉर्म नम्बर 5ए भरकर स्वतंत्र गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजुद नहीं होने पर साथ में आए आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा को गवाह बनाकर हस्ताक्षर करवाए व मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर फॉर्म की एक प्रति दुकान मालिक श्री सुरेश पुत्र कपूरचन्द को देकर सूचित किया कि उक्त नमूना वास्ते सरकारी जांच हेतु क्रय किया गया।

मैसर्स मोदी मन मंदिर सादडी रोड़ बाली में **चाय पत्ती ब्रान्ड विक्रम (500 ग्राम)** 20 पैकेटो में रखी हुई थी, जिस में से 04 पैकेट जांच हेतु खरीदे। जिसका नकद भुगतान 560/–रुपये अक्षरे पांच सौ साठ रुपये का जरिये रसीद के किया गया। उक्त चाय पत्ती के मूल चार पैकेट में नियमानुसार विवरण स्लीप भरकर प्रत्येक नमूनें पर चिपकाई। प्रत्येक नमूने को अलग–अलग चार मोटे व खाकी रंग के कागज में लपेट कर लपेटे गये कागज के दौनो सिरों को गोंद से चिपकाया एवं प्रत्येक नमूने

अति. जिला कलक्टर
(बाली (पाली)

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 127/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम सुरेश कुमार व अन्य

पर अभिहित अधिकारी एवं मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली के हस्ताक्षर युक्त चार एक ही नम्बर की पेपरस्लीप **आर–1666** चिपकाकर नियमानुसार मौटे मजबूत धागे से बांधा गया। प्रत्येक नमूने पर चार चार ऊपर नीचें दाये बाये चपड़ी लगाकर ब्रास सील से सील बंद किया। चारो सीलबंद पर नमूना विवरण अंकित कर प्रति नमूनो पर मुल्जिम व गवाहो के हस्ताक्षर रेपरिंग पेपर व पेपर स्लीप क्रॉस करते हुए करवाये एवं मैने हस्ताक्षर किये।

नमूना संख्या **आर–1666** जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाने हेतु फार्म नम्बर–6 पर नमूना सील जिसका प्रयोग सैम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में उपयोग किया गया था। अंकित कर तैयार किया व एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्रॅास सील से सील किया जिसका प्रयोग इन चारों नमूनो को सील बंद करने में किया गया। एक लिफाफे में फॉर्म नम्बर 6 की दो प्रति रखकर खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर का पता अंकित कर ब्रास सील द्वारा लिफाफे को सील बंद किया। आउटर कवर सील नमूना एवं सीलबंद नमूना चन्द्रेश कुमार दिनांक 14.02.2023 को खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की। नमूनों की शेष द्वितिय, तृतीय एवं चतूर्थ भाग मय फॉर्म नम्बर 6 की एक प्रति आउटर कवर में लपेटते हुए ब्रॅास सील से सील्ड अवस्था में अभिहित अधिकारी मु.चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को 14.02.2023 का जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की।

चाय पत्ती ब्रान्ड विक्रम (500 ग्राम) नमूना संख्या **आर–1666** की जांच कर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट एल.एस./245/एक्ट/2023/283 दिनांक 22.02.2023 अभिहित अधिकारी मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली को भेजी जिसमें अभिहित अधिकारी मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली में नमूनें की जांच रिपोर्ट चार प्रतियों में प्राप्त कर उक्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त **चाय पत्ती ब्रान्ड विक्रम (500 ग्राम)** नमूना संख्या **आर–1666** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 के निर्धारित मापदंड के अनुरुप नहीं है, उक्त नमूना मिध्याछाप स्तर का पाया गया। जांच की एक प्रति जरिये नोटिस फर्म मालिक को जरिये डाक से प्रेषित कर सूचना दी गई कि उक्त नमूनें की पुनः जांच करवाना चाहते हो तो नोटिस प्राप्ति के **30 दिवस** के भीतर–भीतर अभिहित अधिकारी पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से प्रमाणित है कि गैर सायल सुरेश पुत्र कपूरचंन्द मैसर्स मोदी मन मंदिर सादडी रोड़ बाली (फर्म मालिक) ने एफ़एसएसए एक्ट 2006 की धारा 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 52 में अभिनिर्धारित है।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। नियत दिनांक को अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित हुए। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 को जवाब प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से सीधे बहस की गई। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए जवाब प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा विक्रम ऐजेन्सी के नाम से चाय पत्ती का व्यवसाय अवश्य किया जाता है, परन्तु चाय पत्ती की पैंकिग करते समय नियमानुसार एक्सपायरी की तिथि तथा पैकेजिंग पर फर्म के नाम तथा पते का उल्लेख किया जाता है जिससे अप्रार्थी संख्या 02 कि चाय पत्ती मिसब्राण्ड होने को प्रश्न ही नहीं उठता हैं। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 02 निर्दोष है अतः उसे दोषमुक्त करने का आदेश प्रदान करावें। काबिल अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस के दौरान उठाए गए तथ्यों पर मनन एवं विश्लेषण किया गया एवं खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट एल.एस./245/एक्ट/2023/283 दिनांक 22.02.2023 का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट में प्रश्नगत **चाय पत्ती ब्रान्ड विक्रम (500 ग्राम)** नमूने को मिध्याछाप (Misbranded food) की पुष्टि की गई है। जिससे यह सिद्ध होता है कि मैसर्स मोदी मन मंदिर सादडी रोड़ बाली (1.सुरेश पुत्र कपूरचंद जाति घांची निवासी सुथारो का जाव बाली 2. अशोक कुमार घांची पुत्र शेषाराम घांची निवासी दाधिच धर्मशाला वाली गली सुमेरपुर) द्वारा मिध्याछाप खाद्य सामग्री का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना उक्त अधिनियम की धारा 52 में निर्धारित है।

अति. जिला कलक्टर
पाली (पाली)
P.T.O.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 127/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम सुरेश कुमार व अन्य

अतः अप्रार्थी द्वारा खाद्य मानक अधि. 2006 की धारा 26 (2) (ii) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उक्त अधि. की धारा 52 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विरुद्व अप्रार्थी संख्या 01 सुरेश पुत्र कपूरचन्द निवासी सुथारों का बास बाली जिला पाली को रुपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रुपयें एव अप्रार्थी संख्या 02 अशोक कुमार घांची पुत्र श्री शेषाराम घांची निवासी दाधिच धर्मशाला वाली गली सुमेरपुर के विरुद्व 10,000/– अक्षरे दस हजार रुपये की पृथक–पृथक शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिए जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगणों से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

इस प्रकरण में जब्तशुदा **चाय पत्ती ब्रान्ड विक्रम (500 ग्राम)** कुल मात्रा 20 पैकेट का अगर पूर्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निस्तारण नहीं किया हो, तो प्रार्थीपक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में पदाभिहित अधिकारी (Designated officer) खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानानुसार नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
बाली, जिला-पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

क्रमांक/कोर्ट/खा.सु.प्र.स.127/2024/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. श्री भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
बाली, जिला-पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

CamScanner